न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
18/2019	111, 128 LRA	17.06.2019	22.02.2022

मोहनराम पुत्र फताराम जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा बास जसरासर तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. रेखाराम पुत्र केशाराम जाति जाट
2. महेन्द्र पुत्र इन्द्रसिंह जाति जाट
3. महेश पुत्र इन्द्रसिंह जाति जाट
4. भंवरलाल पुत्र सांवताराम जाति जाट
5. मदनलाल पुत्र सांवताराम जाति जाट
6. विनोद पुत्र सांवताराम जाति जाट
7. सुमेराराम पुत्र सांवताराम जाति जाट
8. मोहरी पत्नी सांवताराम जाति जाट
9. लिछमा पत्नी जसूराम जाति जाट
10. श्रवण पुत्र जसूराम जाति जाट
11. सुनील पुत्र जसूराम जाति जाट

निवासीगण ग्राम रामपुरा बास जसरासर तहसील व जिला चूरू (राज.)

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–अप्रार्थीगण–

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री हीरालाल मण्डार प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र जाखड़ अप्रार्थी सं. 1 से 3 अनुपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी गांव रामपुरा बास जसरासर तहसील व जिला चूरू का निवासी एवं कृषि पेशा व्यक्ति है जिसका एक खातेदारी खेत खसरा नं. 762/331 तादादी 15 बीघा 1 विश्वा यानि 3.8065 हैक्टेयर रोही ग्राम रामपुरा बास जसरासर में स्थित है। प्रार्थी के खेत के सिवाने पर अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 761/331, 763/331 व 764/331 स्थित हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेत के पुराने खसरा नम्बर 331 थे जो केसाराम के नाम से दर्ज थे। केसाराम के चार पुत्रों ने आपसी मौखिक सहमति से विभाजन कर अपने–अपने खाते अलग कायम करवाये जिसमें खसरा नम्बर 761/331 तादादी 15 बीघा 1 विश्वा, खसरा नम्बर 762/331 तादादी 15 बीघा 1 विश्वा, खसरा नम्बर 763/331 तादादी 15 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:38 IST
Reason: SelfAttested

1 विश्वा, खसरा नम्बर 764/331 तादादी 15 बीघा 2 विश्वा जमाबन्दी में दर्ज हुए हैं। प्रार्थी के पिता फताराम का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 762/331 की सुरक्षा की दृष्टि से बाड़ व तारबन्दी करने लगा तो अप्रार्थीगण ने एक राय होकर मना कर दिया। अप्रार्थीगण झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं तथा प्रार्थी इनके साथ मौके पर झगड़ा फसाद नहीं कर सकता इसलिए उसने नपती के लिये तहसीलदार महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार महोदय ने पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट मंगवाई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.03.2019 को मौके की रिपोर्ट की गई, जिसमें प्रार्थी के कब्जे में 14 बीघा 1 विश्वा भूमि हुई है जबकि जमाबन्दी में 15 बीघा 1 विश्वा दर्ज है। इस प्रकार मौके पर प्रार्थी के कब्जे में 1 बीघा के लगभग कृषि भूमि कम है। फर्द मौका साथ में संलग्न है। प्रार्थी ने जब हल्का पटवारी को अपने खेत का माप कर पत्थरगढ़ी का निवेदन किया तो उन्होंने मौके पर माप तो कर दिया लेकिन जमाबन्दी व राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि को पूरा करने से यह कह कर मना कर दिया कि जब तक श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय का आदेश नहीं हो जाता, तब तक वह कानूनन पत्थरगढ़ी नहीं कर सकता केवल मौके पर आपके पास जो कृषि भूमि है, उसी का सीमांकन किया जा सकता है।

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से जमाबन्दी के अनुसार कृषि भूमि की मांग की तो अप्रार्थीगण झगड़ा करने पर आतुर हो गये तथा माप व जांच के लिये मना कर दिया। वर्तमान में सींव आदि को लेकर रोज विवाद होने लग गया है। अब काश्त का समय आने वाला है। इसलिए प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय के आदेश से राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर नाप करवा कर सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाये ताकि अप्रार्थीगण प्रार्थी से अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार का विवाद न करें तथा प्रार्थी शान्तिपूर्वक अपने खेत को काश्त कर सके। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपरोक्त कृषि भूमियों के स्वयं ही खातेदार व काश्तकार हैं। उपरोक्त कृषि भूमियों के अन्य सह खातेदार रक्तजों द्वारा अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि का परित्याग कर दिया है, जिसका नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, इसलिए उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। तहसीलदार महोदय, चूरू भू–अभिधारी होने के कारण उनको पक्षकार बनाया गया है जिससे प्रार्थना पत्र में तकनीकी कमी नहीं रह जाये।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम रामपुरा बास जसरासर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 762/331 तादादी 15 बीघा 1 विश्वा की नपती व पत्थरगढ़ी प्रार्थी के खर्चे से अनुभवी पटवारी व गिरदावर की टीम गठित कर अप्रार्थी संख्या 12 तहसीलदार, चूरू से करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से श्री सुरेन्द्र जाखड़ एडवोकेट ने अण्[illegible] देते हुए वकालतनामा एवं जवाब हेतु समय चाहा गया। अप्रार्थी सं. 4 से 1[illegible] जिनको रजिस्टर्ड डाक से सम्मन पुनः भिजवाये गये। अप्रार्थी सं. 4 से 11 को [illegible] की प्राप्ति रसीद बाद तामील प्राप्त हुई परन्तु उक्त अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं आने पर उ[illegible] विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:38 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं. 1 से 3 को वकालतनामा एवं जवाब हेतु असीमित अवसर प्रदान किये गये परन्तु अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से न तो वकालतनामा पेश किया एवं न ही जवाब पेश किया जिस पर अन्ततः दिनांक 04.03.2021 को अप्रार्थी सं. 1 से 3 का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। नियत दिनांक 01.04.21 को वकील अप्रार्थी सं. 1 से 3 को बहस हेतु बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु वकील अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुए जिस पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रकरण में कोई भी आदेश जारी करने से पूर्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 के तहत तहसीलदार, चूरू से वादगत कृषि भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवायी जानी उचित मानते हुए मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश जारी किये गये। तहसीलदार, चूरू द्वारा दिनांक 21.09.21 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि मौके पर फसल काश्त होने के कारण सर्वेक्षण सम्भव नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, चूरू से विधिवत सीमाज्ञान पूर्व में किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी की कृषि भूमि मौके पर 1 बीघा कम पाई गई थी, इसीलिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उक्त सीमाज्ञान की रिपोर्ट मैंने प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। अतः अब पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से अधिवक्ता प्रार्थी का कथन सही पाये जाने पर वकील अप्रार्थी सं. 1 से 3 को बहस हेतु बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु वकील अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुए जिस पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेत पूर्व में एक ही खसरा नम्बर 331 के भाग रहे हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा आपसी सहमति से करवाये गये बंटवारे के बाद ख.नं. 331 के चार खसरा नम्बर 761/331, 762/331, 763/331 व 764/331 कायम किये गये परन्तु उक्त चार खसरा नम्बरों का अलग अलग माप नहीं कर अनुमान से ही सींव डाल दी गई। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, चूरू से अपने खातेदारी खेत ख.नं. 762/331 का सीमाज्ञान करने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उसकी लगभग 1 बीघा कृषि भूमि मौके पर कम है, जिसका पता पुराने ख.नं. 331 से बने चारों खसरा नम्बरों का एक साथ माप करने पर ही चल सकता है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह अपनी खातेदारी की 15 बीघा 1 विश्वा कृषि भूमि का सही सीमा ज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाये ताकि उसकी खातेदारी कृषि भूमि सुरक्षित रह सके तथा भविष्य में कोई सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं हो जबकि अप्रार्थीगण ऐसा नहीं चाहते। अप्रार्थी सं. 1 से 3 उपस्थित आये हैं परन्तु जवाब पेश नहीं करके मात्र प्रकरण को देरीना किया है तथा अप्रार्थी सं. 4 से 11 विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये हैं जिससे इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थी प्रश्नगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। प्रार्थी सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी का [illegible] नियमानुसार वहन करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विशेष पटवारी व गिरदावर की टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का [illegible] का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी को सुना जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, चूरू से अपने खातेदारी खेत ख.नं. 762/331 तादादी 15.01 बीघा (3.8065 हैक्टेयर) रोही ग्राम रामपुरा बास जसरासर का सीमा ज्ञान करने पर प्रार्थी की कृषि भूमि मौके पर 1 बीघा कम पायी जाने पर तथा अप्रार्थीगण द्वारा पुराने ख.नं. 331 सम्पूर्ण का माप करने से मना करने पर प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे के अनुसार सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके विरोध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2066—2069 ग्राम रामपुरा बास जसरासर के खाता सं. 172 ख.नं. 24, 331 तादादी क्रमशः 18.12, 60.05 बीघा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 11 के पूर्वजों की संयुक्त खातेदारी की रही है तथा खाता विभाजन के बाद प्रश्नगत ख.नं. 762/331 तादादी 15.01 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता फताराम के नाम, ख.नं. 763/331 तादादी 15.01 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 रेखाराम के नाम, ख.नं. 764/331 तादादी 15.02 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम एवं ख.नं. 761/331 तादादी 15.01 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 4 से 8 के पिता व 9 से 11 के दादा सांवताराम के नाम दर्ज हुई है। ग्राम रामपुरा बास जसरासर की जमाबन्दी सम्वत् 2070—2070 के खाता सं. 193, 155, 176 व 105 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ख.नं. 763/331 तादादी 3.8065 हैक्टेयर में अप्रार्थी सं. 1, ख.नं. 764/331 तादादी 3.8192 हैक्टेयर में अप्रार्थी सं. 2 व 3, ख.नं. 761/331 तादादी 3.8065 हैक्टेयर में अप्रार्थी सं. 4 से 11 व अन्य सह खातेदार एवं ख.नं. 762/331 तादादी 3.8065 हैक्टेयर में प्रार्थी खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी के कथनानुसार ख.नं. 761/331 के अन्य सह खातेदारों ने अपने हिस्से की भूमि का परित्याग अप्रार्थी सं. 4 से 11 के पक्ष में कर दिया है। तहसीलदार, चूरू के आदेश क्रमांक भू—अ./19/782 की पालना में प्रस्तुत पटवारी हल्का जसरासर की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.03.19 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ख.नं. 762/331 के खातेदार को मौके पर निशानदेही देने पर मौके पर 14.01 बीघा खातेदार के कब्जे में पायी गई है जबकि जमाबन्दी के अनुसार ख.नं. 762/331 का रकबा 3.8065 हैक्टेयर है।

उपरोक्तानुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पेश दस्तावेजात् के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि ख.नं. 762/331 तादादी 3.8065 हैक्टेयर (15 बीघा 1 विश्वा) रोही ग्राम रामपुरा बास जसरासर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जो मौके पर लगभग 1 बीघा भूमि कम है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 11 एक ही परिवार के सदस्यगण हैं जिनकी खातेदारी कृषि भूमियां पूर्व में ख.नं. 331 का ही भाग रही हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी की 1 बीघा कम भूमि पुराने ख.नं. 331 के विभाजन के बाद नये बने ख.नं. 761/331, 763/331 व 764/331 में ही स्थित है, जो कि ख.नं. 331 से बने सभी खसरों के माप से ही सामने आना सम्भव है। मौके पर प्रार्थी की भूमि 1 बीघा कम होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 11 के खेतों के मध्य स्थित सीमा को लेकर असमंजस की स्थिति है। वर्तमान में खेतों की सींव को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 11 के मध्य आपस में झगड़ा होते रहने से प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के विरोध में अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तोवज पेश नहीं किया गया है जिससे प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरगढी करवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:38 IST
Reason: SelfAttested

जाना उचित नहीं हो। इसलिए उक्त सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए तथा अपने खेत की सीमाओं की सुरक्षा हेतु प्रार्थी को विधिवत सीमा ज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से नियमानुसार अपनी कृषि भूमि का सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मद्देनजर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू रोही ग्राम रामपुरा बास जसरासर तहसील चूरू में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 762/331 तादादी 3.8065 हैक्टेयर व अप्रार्थी सं. 1 से 11 के खातेदारी खेत ख.नं. 761/331 तादादी 3.8065 हैक्टेयर, 763/331 तादादी 3.8065 हैक्टेयर व 764/331 तादादी 3.8192 हैक्टेयर की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए दोनों पक्षों के खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें।

आदेश आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:38 IST
Reason: SelfAttested